

कार्यालय महाप्रबन्धक जलकल विभाग, नगर निगम, गोरखपुर

टेक्निकल बिड हेतु वांछित प्रपत्र – 1

संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्रों की सूची

1. जमा निविदा शुल्क का विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा में संलग्न की गयी धरोहर राशि महाप्रबन्धक जलकल के पक्ष बन्धक होगी का विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।
3. निविदा शुल्क/धरोहर राशि समय से निगम के खाते में जमा होना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में उस निविदा पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जायेगा।
4. निविदादाता को जिलाधिकारी द्वारा जारी अद्यतन घरित्र-प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को अद्यतन तिथि का न्यूनतम 40 लाख रुपये का हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता को जी०एस०टी० एवं आयकर में पंजीकरण का प्रमाण पत्र (पैन नं० एवं जी०एस०टी० नं०) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. लिकिवड एसेट्स उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
8. सी०ए० द्वारा विगत दो वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 की प्रमाणित बैलेन्स शीट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. विगत दो वर्ष 2018–19 व 2019–20 की I.T.R. की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. निविदादाता को किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में प्रतिदिन न्यूनतम 30 नलकूपों के आटोमेशन पम्पों का अनुरक्षण/संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र जो विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
11. निविदादाता को नगर निगम, गोरखपुर अथवा यू०पी० इलेक्ट्रोनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा, यदि पंजीकरण है तो पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना होगा।
12. श्रम विभाग में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रमाण पत्र संलग्न करें।
13. ई०पी०एफ०ओ० में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रमाण पत्र संलग्न करें।
14. अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी दशा में कार्यादेश, अनुबन्ध पत्र मान्य नहीं होगा।
15. निविदादाता को विद्युत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत उ०प्र० विद्युत निगम द्वारा जारी "क" श्रेणी का लाईसेन्स की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। यिन लाईसेन्स के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
16. फर्म/संस्था को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म/संस्था कहीं किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था में पिछले 05 वर्ष में ब्लैक लिस्टेड नहीं रही है।
17. क्रम सं० 01 से 16 तक के सभी प्रमाण पत्र निविदा की तकनीकी बिड में ऑन लाइन अपलोड करना/ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

सहमत

फर्म के हस्ताक्षर एवं मुहर

महाप्रबन्धक जलकल

कराये जाने वाले कार्य (Scope of Work)

1. चयनित फर्म को नलकूपों पर लगे आटो पैनल को सदैव संचालित स्थिति में रखना होगा।
2. डाटा मानीटर पर बोल्टेज, फेज, पम्प के चालू व बन्द होने की समस्त जानकारी कन्ट्रोल रूम एवं मोबाईल एप्प पर प्रदर्शित होना अनिवार्य है।
3. चयनित फर्म को सभी नलकूपों पर नया इलेक्ट्रॉनिक डोजर लगाना होगा एवं सभी डोजरों का संचालन आटोमेशन पैनल से करना अनिवार्य है।
4. अनुरक्षण कार्य में जैसे डोजर, पम्पसेट, आटो पैनल का अनुरक्षण व मोटर रिवाईन्डिंग, आपरेशन मेन्टीनेन्स, लोरिंग लिपिटंग इत्यादि फर्म को निःशुल्क कराना होगा।
5. यदि नलकूप पर लगा मोटर पम्पसेट/केबल/डोजर बिल्कुल खराब हो जाता है जिसकी मरम्मत नहीं हो सकती है तो उसे विभाग द्वारा नया उपलब्ध कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में विभागीय अभियन्ता एवं मैकेनिक/इलेक्ट्रॉनिक की जौच आख्या प्राप्त की जायेगी।
6. नलकूप विद्युत उपलब्धता के आधार पर आवश्यकतानुसार निरन्तर 24 घन्टे अथवा विभागीय निर्देशानुसार चलाना होगा एवं इसका प्रतिदिन रिकार्ड आनलाइन सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता के साथ विभागीय मेल पर भी उपलब्ध कराना होगा।
7. नलकूपों के पम्प हाउस/परिसर में उपलब्ध समस्त यन्त्रों/संयन्त्रों आदि की सुरक्षा का दायित्व फर्म का होगा।
8. पम्प हाउस के अन्दर नलकूप सम्बन्धी किसी प्रकार की खराबी आने पर फर्म द्वारा सम्बन्धित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को तत्काल सूचना दी जायेगी।
9. सभी नलकूपों की समस्त दिवसों (रविवार को भी) में चलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
10. प्रत्येक नलकूप के साथ क्लोरिनेशन के लिये लगाये गये सभी डोजर्स के अनुरक्षण एवं संचालन की जिम्मेदारी भी फर्म की होगी।
11. जलकल में स्थापित MCS Room के समस्त उपकरणों की सुरक्षा एवं नलकूपों पर लगे सिम कार्ड व इण्टरनेट के रिचार्ज फर्म को देय करना होगा।

सहमत

फर्म के हस्ताक्षर एवं मुहर



महाप्रबन्धक जलकल

निविदा हेतु विशेष शर्तें

1. निविदा कार्यकाल की वैद्यता अनुबन्ध के अनुसार मान्य होगी।
2. नलकूपों की संख्या आवश्यकतानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर घटायी या बढ़ाई जा सकती है।
3. श्रमिकों की संख्या अलग—अलग कार्यों अनुसार घोषित करना होगा।
4. निविदादाता फर्म का पंजीयन अम विभाग ने होना अनिवार्य है तथा निविदादाता द्वारा शासकीय एवं समय—समय पर जारी अम विभाग के नियमों का पालन किया जायेगा।
5. विगत माह का ई0पी0एफ0ओ0 में जमा पी0एफ0 की इन्वायर्स प्रस्तुत करने पर ही श्रमिकों का अगले क्रमिक बिल का भुगतान किया जायेगा।
6. निर्धारित शर्तों के अनुसार डाली गयी निविदा पर ही विचार किया जायेगा। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
7. नलकूप अनुरक्षण एवं संचालन के दौरान यदि कोई दुर्घटना, कार्य स्थल पर होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। इस सम्बन्ध में सभी लेन—देन व क्षतिपूर्ति फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। फर्म द्वारा मेन्टीनेन्स कार्य हेतु तैनात किसी कम्बिशारी का जलकल विभाग, नगर निगम, गोरखपुर से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होगा, और न ही वह विभाग में नौकरी के लिये दावा कर सकेगा।
8. एक माह की अवधि के पश्चात बिल भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा सन्तोषजनक सेवा के उपरान्त ही फर्म के बिल का भुगतान किया जायेगा।
9. वर्तमान समय में दरें फिलहाल एक वर्ष हेतु आमंत्रित की जा रही है। कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर आगामी वर्षों हेतु अनुबन्ध पर विचार किया जायेगा। तदनुसार धरोहर/जमानत धनराशि भी जमा कराई जायेगी।
10. यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण आब्रिट्रेटर द्वारा किया जायेगा। आब्रिट्रेटर मात्र नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर होंगे जिनका निर्णय अन्तिम एवं उभय पक्ष को मान्य होगा।
11. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर में निहित होगा।
12. निविदा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध की कार्यवाही निर्धारित प्रारूप पर करनी होगी।
13. संचालन एवं अनुरक्षण कार्य हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये संपत्तियों, संयंत्रों को अनुबन्ध समाप्त होने के पश्चात उसी रियति में विभाग को वापस उपलब्ध कराना होगा।
14. निविदा से सन्दर्भित मांगे गये सभी प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है मांगे गये प्रमाण पत्र यदि टेक्निकल बिड खोले जाने पर नहीं पाये जाते हैं तो उस निविदा पर अग्रिम विचार नहीं किया जायेगा।
15. संलग्न प्रमाण पत्रों की सत्यता हेतु हल्फनामा (नोटरी) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
16. यदि फर्म/संस्था द्वारा संलग्न कोई प्रपत्र जाँच के दौरान असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/संस्था के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा ब्लैक लिस्टेड कराये जाने की कार्यवाही भी की जायेगी।
17. किसी वाद की दशा में न्याय क्षेत्र गोरखपुर नगर होगा।

सहमत

फर्म के हस्ताक्षर एवं मुहर



महाप्रबन्धक जलकल

जलकल विभाग, नगर निगम, गोरखपुर

महानगर में स्थापित नलकूपों का संचालन एवं अनुरक्षण कार्य— वित्तीय विड

क्र0 सं0	कार्य का नाम	संख्या	दर रु0 में प्रति नलकूप प्रतिमाह	कुल धनराशि प्रतिमाह
1	2	3	4	5
1.	महानगर में स्थापित 58 अद्द नलकूपों के साथ—साथ नलकूपों जुड़े 21 अद्द ओ0एच0टी0 जो कि अमृत योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 जल निगम द्वारा आटोमाइज कराये गये हैं इन सभी नलकूपों व 21 ओ0एच0टी0 के संचालन एवं कम्पलीट अनुरक्षण का कार्य समस्त वांछित तकनीकी कर्मियों के साथ।	58 नलकूप व उनसे जुड़े 21 ओ0एच0टी0		

निविदादाता फर्म का मुहर एवं हस्ताक्षर


महाप्रबन्धक (जलकल)